No. A-12018/02/2020-Ad.V
भारत सरकार/Government of India
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs
****

North Block, New Delhi
Dated 20th October, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Framing of Recruitment Rules for the newly created 02 posts of Director and 07 posts of Deputy Secretary in Cyber and Information Security Division of Ministry of Home Affairs–reg.

****

The undersigned is directed to state that the Ministry of Home Affairs intends to frame the Recruitment Rules for the newly created 02 posts of Director and 07 posts of Deputy Secretary in its Cyber and Information Security Division, as per the provisions contained in forthcoming para 3.

2. It is requested that comments of all the stakeholders, if any, on the proposed Recruitment Rules may be forwarded to **Under Secretary (Ad.V), Ministry of Home Affairs, Room No. 81-D, North Block, New Delhi-110001 latest by 19th November, 2020**. The Recruitment Rules for the posts of Director and Deputy Secretary would be finalized after taking into account the comments so received.

3. Following provisions are proposed in the Recruitment Rules for the post of:

(i) Director:

S. No.	Particulars	Proposed Provisions
1.	Name of the post	Director
2.	Number of posts	02* (2020) *subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	Level-13
5.	Whether selection post or non-selection post	Not applicable
6.	Age limit for Direct recruits	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9.	Period of Probation, if any	Not applicable
10.	Method of recruitment	Deputation

...contd.2/-

11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	**Deputation:** By officers of the Central Government or State Governments or Union Territories: (a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) with five years' service in Level-12 in the Pay Matrix or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre/department; AND (b) Possessing the following educational qualification and experience: **Essential qualification:** (i) Master's Degree in Computer Applications; OR M. Sc. (Computer Science/Information Technology/ Electronics) from a recognized University/Institute; OR B.E./B. Tech. (Computer Engineering/Computer Science/Computer Technology/Computer Science & Engineering/Information Technology/Electronics & Telecommunication/Electrical/ Electronics) from a recognized University/Institute; AND (ii) Ten years' experience in Cyber/IT/Networking/Telecom/ programming/information system in a Government Office/ PSU/Autonomous Body/Statutory Body or in any recognized institution. **Desirable Qualification:** Industry certification-CEH/OSCP/ CISA/CISSP/ CISM/ITIL/OWASP. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Not applicable
13.	Circumstances in which Union Public service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation of the Union Public Service Commission is necessary.

...contd.3/-

(ii) Deputy Secretary (Legal):

S. No.	Particulars	Proposed Provisions
1.	Name of the post	Deputy Secretary (Legal)
2.	Number of posts	01* (2020) *subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	Level-12
5.	Whether selection post or non-selection post	Not applicable
6.	Age limit for Direct recruits	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9.	Period of Probation, if any	Not applicable
10.	Method of recruitment	Deputation
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	**Deputation:** By officers of the Central Government or State Governments or Union Territories: (a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) with five years' service in Level-11 in the Pay Matrix or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre/department; AND (b) Possessing the following educational qualification and experience: **Essential:** (i) Degree in Law from a recognized University/Institute; AND (ii) Ten years' experience of dealing of Indian Cyber Law or International Cyber Law. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

...contd. 4/-

12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Not applicable
13.	Circumstances in which Union Public service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation of the Union Public Service Commission is necessary.

(iii) Deputy Secretary:

S. No.	Particulars	Proposed Provisions
1.	Name of the post	Deputy Secretary
2.	Number of posts	06* (2020) *subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	Level-12
5.	Whether selection post or non-selection post	Not applicable
6.	Age limit for Direct recruits	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9.	Period of Probation, if any	Not applicable
10.	Method of recruitment	Deputation

...contd.5/-

11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	**Deputation:** By officers of the Central Government or State Governments or Union Territories: (a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) with five years' service in Level-11 in the Pay Matrix or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre/ department; AND (b) Possessing the following educational qualification and experience: **Essential qualification:** (i) Master's Degree in Computer Applications OR M.Sc. (Computer Science/Information Technology/ Electronics) from a recognized University/ Institute; OR B.E./B. Tech. (Computer Engineering/Computer Science/ Computer Technology/Computer Science & Engineering/ Information Technology/ Electronics & Telecommunication/ Electrical/ Electronics) from a recognized University/ Institute; AND (ii) Eight years' experience in Cyber/IT/ Networking/ Telecom/ programming/ information system in a Government Office/ PSU/ Autonomous Body/ Statutory Body or in any recognized institution. **Desirable Qualification:** Industry certification-CEH/OSCP/CISA/CISSP/CISM/ ITIL/OWASP. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

...contd.6/-

12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Not applicable
13.	Circumstances in which Union Public service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation of the Union Public Service Commission is necessary.

20/10/2022

(N.R. Sekar Raju)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 2309 3666

To

1. All the stakeholders for sending their comments to this Ministry.
2. SO (IT) for uploading on the website of the Ministry.

सं. ए-12018/02/2020-प्रशा.V

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 20 अक्तूबर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग में नव सृजित निदेशक के 02 पदों और उप सचिव के 07 पदों के लिए भर्ती नियम बनाने के बारे में।

****

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग में नव सृजित निदेशक के दो पदों और उप सचिव के सात पदों के लिए, आगे पैरा 3 में शामिल उपबंधों के अनुसार, गृह मंत्रालय का इरादा भर्ती नियम बनाने का है।

2. यह अनुरोध है कि प्रस्तावित भर्ती नियमों पर सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई हो, **अवर सचिव (प्रशा.V), गृह मंत्रालय, कमरा सं. 81-डी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली –110001 को दिनांक ..19... नवम्बर, 2020** तक भेज दी जाएं। निदेशक और उप सचिव के पदों के लिए भर्ती नियमों को इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा।

3. **(i) निदेशक के पद के लिए भर्ती नियमों में निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित हैं:**

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित प्रावधान
1.	पद का नाम	निदेशक
2.	पदों की संख्या	02* (2020) *कार्य की मात्रा के अनुसार बदलाव के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ‘क’, राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-13
5.	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की रीति	प्रतिनियुक्ति

...जारी 2/-

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 या सामान ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों: <u>अनिवार्य योग्यता:</u> (i) कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स); किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.ई./बी.टेक. (कंप्यूटर इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार/ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स); तथा (ii) सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में साइबर/ आईटी/नेटवर्किंग/दूरसंचार/प्रोग्रामिंग/सूचना प्रणाली में दस वर्ष का अनुभव। <u>वांछनीय योग्यता</u> औद्यौगिक प्रमाणपत्र – सीएचई/ओएससीपी/सीआईएसए/सीआईएसएसपी/ सीआईएसएम/ आईटीआईएल/ओडब्ल्यूएएसपी। <u>नोट 1:</u> संघ लोक सेवा आयोग को यह विवेकाधिकार होगा कि वह अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित कारणों के लिए योग्याताओं को शिथिल कर सकता है। <u>नोट 2:</u> इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएससीटी) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। <u>नोट 3:</u> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <u>नोट 4:</u> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जबसे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गयी है) से पहले नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू संगत ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गयी सेवा माना जाएगा सिवाय उस स्थिति के, जहां एक से अधिक संशोधनपूर्व वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड पे या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हुआ है और जहां यह लाभ केवल उसी पद (पदों) के लिए लागू होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो, इसका संघटन क्या है?	लागू नहीं
13.	वह स्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

...जारी 3/-

(ii) उप सचिव के पद के लिए भर्ती नियमों में निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित हैं:

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित प्रावधान
1.	पद का नाम	उप सचिव (विधिक)
2.	पदों की संख्या	01* (2020) * कार्य की मात्रा के अनुसार बदलाव के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-12
5.	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की रीति	प्रतिनियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 या सामान ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों: <u>अनिवार्य योग्यता:</u> (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक; तथा (ii) भारतीय साइबर विधि या अंतर्राष्ट्रीय साइबर विधि में काम का दस वर्ष का अनुभव। <u>नोट 1:</u> संघ लोक सेवा आयोग को यह विवेकाधिकार होगा कि वह अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित कारणों के लिए योग्याताओं को शिथिल कर सकता है। <u>नोट 2:</u> इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएससीटी) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

...जारी 4/-

		<u>नोट 3:</u> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <u>नोट 4:</u> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जबसे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गयी है) से पहले नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू संगत ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गयी सेवा माना जाएगा सिवाय उस स्थिति के जहां एक से अधिक संशोधनपूर्व वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड पे या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हुआ है और जहां यह लाभ केवल उसी पद (पदों) के लिए लागू होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो, इसका संघटन क्या है?	लागू नहीं
13.	वह स्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(iii) उप सचिव:

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित प्रावधान
1.	पद का नाम	उप सचिव
2.	पदों की संख्या	06* (2020) *कार्य की मात्रा के अनुसार परिवर्तन के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-12
5.	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की रीति	प्रतिनियुक्ति

...जारी 5/-

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	**प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 या सामान ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों: **अनिवार्य योग्यता:** (i) कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स); किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी.ई./बी.टेक. (कंप्यूटर इंजीनियरिंग/ कंप्यूटर विज्ञान/ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स); तथा (ii) सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में साइबर/ आईटी/नेटवर्किंग/दूरसंचार/प्रोग्रामिंग/ सूचना प्रणाली में आठ वर्ष का अनुभव। **वांछनीय योग्यता:** औद्यौगिक प्रमाणपत्र – सीएचई/ ओएससीपी/ सीआईएसए/ सीआईएसएसपी/ सीआईएसएम/आईटीआईएल/ओडब्ल्यूएएसपी। **नोट 1:** संघ लोक सेवा आयोग को यह विवेकाधिकार होगा कि वह अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित कारणों के लिए योग्याताओं को शिथिल कर सकता है। **नोट 2:** इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (आईएससीटी) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 4:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जबसे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गयी है) से पहले नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू संगत ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गयी सेवा माना जाएगा सिवाय उस स्थिति के, जहां एक से अधिक संशोधनपूर्व वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड पे या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हुआ है और जहां यह लाभ केवल उसी पद (पदों) के लिए लागू होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

...जारी 6/-

12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो, इसका संघटन क्या है	लागू नहीं
13.	वह स्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

एन आर शेखर राजू
20.10.20

(एन.आर. शेखर राजू)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 2309 3666

प्रति,

1. सभी हितधारकों को अपनी टिप्पणियां इस मंत्रालय को भेजने हेतु।
2. अनुभाग अधिकारी (आईटी) को इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।